संख्या-92/2020/1911 ई-2/तेरह-2020-131/2017

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 29 अक्टूबर, 2020

विषय:-मेसर्स डी.एस.एम. श्रीराम लि., डिस्टलरी यूनिट हरियावां, जनपद-हरदोई को पेय मदिरा के उत्पादन हेतु पेये क्षमता स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-38/दो-प्रा.डी.-189, दिनांक 07.09.2020 तथा इस सम्बन्ध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 05.10.2020 में लिये गये निर्णय से सम्बन्धित निर्गत कार्यवृत्त पत्र संख्या-2104 ई-2/ तेरह-2019-131/2017, दिनांक 09.10.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं समिति द्वारा की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिक एवं राजस्वहित में मेसर्स डी.एस.एम. श्रीराम लि., डिस्टलरी यूनिट हरियावां, जनपद-हरदोई, आसवनी को पूर्व में स्वीकृत औद्योगिक अधिष्ठापित क्षमता 528 लाख लीटर वार्षिक के अन्तर्गत 40.28 लाख ली. वार्षिक पेय क्षमता स्वीकृत किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत आसवनी द्वारा पेय मदिरा निर्माण से पूर्व उ.प्र. आबकारी (आसवनी की स्थापना)(तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम-2(5)(ज)(झ) में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा आसवनी द्वारा उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आसवनी चलाये जाने हेतु प्राप्त कन्सेन्ट में औद्योगिक अल्कोहल के साथ-साथ पेय मदिरा उत्पादन किये जाने की सहमति भी पेय मदिरा निर्माण से पूर्व प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

कृपया तद्नुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।